

## मुख्यमंत्री

### प्रलिस के लयः

अवशुवास प्रसुताव, मुख्यमंत्री से संबधति वभिनिन प्रावधान

### मेन्स के लयः

मुख्यमंत्री की नयुक्त और कारुयकाल, राजुयपाल और उसकी वविकाधीन शकुतयिँ, राजुयपाल पद संबधी वविवद

## चरुचा में कुयों?

हाल ही में पुषुकर सहि धामी ने उतुतराखंड के 11वें मुख्यमंत्री (CM) के रूड में शपथ ग्रहण की ।

- उनहोंने वरुष 2022 की शुुरुआत में होने वाले वधिनसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही पदभार ग्रहण कयिा है ।

## प्रमुख बदि

### नयुक्तः

- संवधिन के अनुचुछेद 164 यह प्रावधान करता है कऱ मुख्यमंत्री की नयुक्त राजुयपाल करेगा ।
  - वधिनसभा चुनावों में पार्टी के एक बहुमत प्रापुत नेता को राजुय के मुख्यमंत्री के रूड में नयुक्त कयिा जाता है ।
  - राजुयपाल के पास नाममातुर का कारुयकारी अधकऱर है, लेकनि वासुतवकि कारुयकारी अधकऱर मुख्यमंत्री के पास है ।
  - हालाँकु राजुयपाल दवारा प्रापुत वविकाधीन शकुतयिँ राजुय प्रशासन में मुख्यमंत्री की शकुता, अधकऱर, प्रभाव, प्रतुषुठा और भूमकिा को कुछ हद तक कम कर देती है ।
- एक वुयकुतऱ जो राजुय वधिनसभा का सदसुय नहीं है, उसे छह महीने के लयऱ मुख्यमंत्री के रूड में नयुक्त कयिा जा सकुता है, उस समयसीमा के भीतर उसे राजुय वधिनसभा की सदसुयता ग्रहण करनी होगी, ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का तुयुाग करना हुता है ।

### CM का कारुयकालः

- मुख्यमंत्री का कारुयकाल नशुचति नहीं हुता है और वह राजुयपाल के प्रसादपरुयंत पद धारण करता है ।
  - राजुयपाल दवारा उसे तब तक बरुखासुत नहीं कयिा जा सकुता जब तक कऱ वधिनसभा में बहुमत प्रापुत हुता है ।
- यदऱवह वधिनसभा में वशुवास मत खो देता है तो उसे तुयुागपतुर दे देना चाहयऱ अनुयथा राजुयपाल उसे बरुखासुत कर सकुता है ।

### शकुतयिँ एवं कारुयः

- मंतुरपरऱषिद के संबध मेंः
  - राजुयपाल केवल उनहीं वुयकुतऱयिँ को मंतुरी के रूड में नयुक्त करता है जनिकी सफऱरशि मुख्यमंत्री दवारा की जाती है ।
  - वह मंतुरयिँ के बीच वभिगों का आवंतन और फेरबदल करता है ।
  - वह पद से इसुतीफा देकर मंतुरपरऱषिद का वधऱटन कर सकुता है, कुयोंकु मुख्यमंत्री मंतुरपरऱषिद का प्रमुख हुता है ।
- राजुयपाल के संबध मेंः
  - संवधिन के अनुचुछेद 167 के तहत राजुयपाल और राजुय मंतुरपरऱषिद के बीच मुख्यमंत्री एक कडुी के रूड में कारुय करता है ।
  - मुख्यमंत्री दवारा महाधवऱकुता, राजुय लुक सेवा आडुुग, राजुय चुनाव आडुुग आदऱके अधुयकुष और सदसुयों जैसे महतुतुवपूरण अधकऱरयिँ की नयुक्तऱ के संबध में राजुयपाल को सलाह दी जाती है ।
- राजुय वधिनमंडल के संबध मेंः
  - सभी नीतयिँ की धुषणा उसके दवारा सदन के पटल पर की जाती है ।
  - वह राजुयपाल को वधिनसभा भंग करने की सफऱरशि करता है ।

■ **अन्य कार्य:**

- वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
- वह संबंधित **कषेत्रीय परिषद** के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय में इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है।
- वह अंतर-राज्य परिषद और **नीति आयोग** का सदस्य होता है, इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
- वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है।
- आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है।
- राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है।
- वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख है।

**स्रोत: द हिंदू**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/chief-minister>

